[2012] 1 उम. नि. प. 133

राजस्थान राज्य और एक अन्य

बनाम

जे. के. सिंथेटिक्स लिमिटेड और एक अन्य

4 जुलाई, 2011

न्यायमूर्ति आर. वी. रवीन्द्रन, न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम् और
न्यायमूर्ति ए. के. पटनायक

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) – धारा 9(3) [सपठित खनिज रियायत नियम, 1960 का नियम 64-क)] – खनन पट्टे की बाबत स्वामिस्व के बकाया पर ब्याज – राज्य सरकार की 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की मांग को उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की सीमा तक स्वीकार करना – अंतर-न्यायालयीय अपीलों में उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा एकल न्यायाधीश के आदेश को महाधिवक्ता की स्वीकृति/रियायत पर आधारित मानकर यह अभिनिर्धारित करना कि एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती – चूंकि महाधिवक्ता ने केवल यह निवेदन किया था कि राज्य सरकार 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज की हकदार है और एकल न्यायाधीश की यह मताभिव्यक्ति कि राज्य सरकार को विलंबित संदायों पर कम से कम 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज मिलना चाहिए, एकल न्यायाधीश की एक मताभिव्यक्ति मात्र है न कि महाधिवक्ता द्वारा दी गई कोई रियायत इसलिए ऐसा कथन राज्य सरकार द्वारा एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने के मार्ग में बाधक नहीं होगा यदि उसके मतानुसार वह उच्चतर दर पर ब्याज प्राप्त करने की हकदार है ।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) – धारा 9(3) [सपठित खनिज रियायत नियम, 1960 का नियम 64-क] – स्वामिस्व के बकाया पर ब्याज – उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेशों द्वारा बढ़ी हुई दरों पर स्वामिस्व की वसूली करने पर रोक – मामला अंततः खारिज हो जाने पर अंतरिम आदेशों के कारण विधारित स्वामिस्व के अंतर पर ब्याज संदत्त करने की मांग – जब दर या टैरिफ में पुनरीक्षण के संबंध में कोई अंतरिम रोकादेश किया जाता है, तब जब तक अंतरिम रोकादेश या रिट याचिका को खारिज करने वाले अंतिम आदेश में अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है, रिट याचिका के खारिज या

अंतरिम आदेश के बातिल हो जाने पर अंतरिम आदेश के फायदाग्राही को उस रकम पर, जो अंतरिम आदेश के कारण विधारित की गई है या संदत्त नहीं की गई है, ब्याज का संदाय करना होगा और जहां कानून या संविदा में ब्याज की दर विनिर्दिष्ट की गई है वहां प्रायः उसी दर पर ब्याज का संदाय करना होगा तथा जहां ब्याज के संदाय के लिए कोई कानूनी या संविदात्मक उपबंध न हो वहां भी न्यायालय को अंतरिम रोकादेश को बातिल करते समय या रिट याचिका को खारिज करते समय जब तक ऐसा न करने के लिए विशेष कारण न हों, प्रत्यास्थापन के तौर पर किसी युक्तियुक्त दर पर ब्याज का संदाय करने का निदेश देना होगा ।

खनिज रियायत नियम, 1960 – नियम 64-क, 31 और 27 – खनन पट्टे की बाबत स्वामिस्व – स्वामिस्व के बकाया पर ब्याज – क्या नियम 64 में प्रयुक्त "24 प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज प्रभारित कर सकेगी" शब्द प्रभारित की जाने वाली दर के संबंध में राज्य में विवेकाधिकार निहित करते हैं – नियम 64-क में "सकेगी" शब्द का प्रयोग राज्य सरकार को प्रभारित किए जाने वाले ब्याज की दर के संबंध में विवेकाधिकार देने के संदर्भ में नहीं किया गया है बल्कि इसका प्रयोग उसे पट्टे का पर्यवसान करने या 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज प्रभारित करने के संबंध में विकल्प प्रदान करने के लिए किया गया है ।

इन अपीलों में से प्रत्येक में प्रथम प्रत्यर्थी चूना पत्थर के खनन पट्टे का धारक है या था । खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9 खनन पट्टों की बाबत स्वामिस्वों के संबंध में है । उसकी उपधारा (2) में खनन पट्टे के धारक से यह अपेक्षित है कि वह पट्टाकृत क्षेत्र में से उसके द्वारा हटाए या खपाए गए किसी खनिज की बाबत उस दर पर स्वामिस्व का संदाय करे जो उस खनिज की बाबत अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में तत्समय विनिर्दिष्ट है । उसकी उपधारा (3) केन्द्रीय सरकार को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा द्वितीय अनुसूची में संशोधन करने के लिए सशक्त करती है जिससे कि उन दरों में वृद्धि की जा सके जिन पर किसी खनिज की बाबत ऐसी तारीख से जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, स्वामिस्व संदेय होगा । केन्द्रीय सरकार ने तारीख 3 मई, 1987 की अधिसूचना द्वारा अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में संशोधन किया था और चूना पत्थर की बाबत स्वामिस्व 4.50 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 10 रुपए प्रति टन कर दिया था । तारीख 17 फरवरी, 1992 की अधिसूचना द्वारा, अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में पुनः संशोधन किया गया था और चूना पत्थर के लिए स्वामिस्व की दर 10 रुपए

प्रति टन से बढ़ाकर 25 रुपए प्रति टन कर दी गई थी । इन अपीलों में संबंधित प्रथम प्रत्यर्थी ने (जिन्हें एक साथ "विरोध करने वाले प्रत्यर्थी" कहा गया है) अधिनियम की धारा 9(3) और उस अधिसूचना की सांविधानिक विधिमान्यता को चुनौती देते हुए, जिसके द्वारा स्वामिस्व की दर 10 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 25 रुपए प्रति टन कर दी गई थी, रिट याचिकाएं फाइल कीं । उच्च न्यायालय ने सभी मामलों में (सिवाय जे. के. उदयपुर उद्योग लिमिटेड के मामले में) अंतरिम आदेश जारी कर दिए थे, जिनके द्वारा राज्य सरकार को यह निदेश दिया गया था कि वह रिट याचियों द्वारा 10 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर पर स्वामिस्व का संदाय करने और 15 रुपए प्रति मीट्रिक टन के अंतर के लिए बैंक प्रतिभूति प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए उक्त अधिसूचना के अनुसरण में 25 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर पर स्वामिस्व की वसूली करने संबंधी प्रपीड़क कदम न उठाए । जे. के. उदयपुर उद्योग लिमिटेड के मामले में, उच्च न्यायालय ने इस अतिरिक्त शर्त के साथ अन्य मामलों की तरह अंतरिम आदेश किया कि यदि उक्त रिट याची अंततोगत्वा रिट याचिका में असफल हो जाता है तो रिट याची से देय बकाया रकम की वसूली 18 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज सहित की जाएगी । विरोध करने वाले प्रत्यर्थियों द्वारा अधिनियम की धारा 9(3) और स्वामिस्व में वृद्धि करने वाली अधिसूचना को चुनौती देते हुए फाइल की गई अनेक रिट याचिकाएं अंततः खारिज कर दी गई थीं जिसमें इस न्यायालय ने अधिनियम की धारा 9(3) और स्वामिस्व की दर को पुनरीक्षित करने वाली अधिसूचना की विधिमान्यता को कायम रखा था । ऐसी खारिजी के परिणामस्वरूप विरोध करने वाले प्रत्येक प्रत्यर्थी ने यह दावा किया है कि उन्होंने वर्ष 1996-1997 में स्वामिस्व के अंतर (अर्थात्, 15 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर पर) का संदाय कर दिया है । खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 64-क में स्वामिस्व और अन्य देयों के बकाया पर ब्याज उद्गृहीत करने का उपबंध है । राजस्थान राज्य ने विरोध करने वाले प्रत्यर्थियों को निम्नलिखित मांग सूचनाएं जारी कीं जिनमें उनसे नियमों के नियम 64-क के अधीन उस स्वामिस्व के अंतर पर, जो उनके द्वारा अभिप्राप्त अंतरिम आदेशों के कारण विधारित किया गया था और जिनका संदाय उनकी रिट याचिकाओं के खारिज हो जाने के पश्चात् विलंब से किया गया था, 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज संदत्त करने की मांग की गई थी । विरोध करने वाले प्रत्यर्थियों ने इस प्रक्रम पर यह दलील देते हुए ब्याज की मांग करने वाली सूचनाओं को चुनौती देते हुए दूसरी बार रिट याचिकाएं फाइल कीं कि वे ब्याज का संदाय करने के लिए

दायी नहीं हैं । उन्होंने नियमों के नियम 64-क की विधिमान्यता को भी चुनौती दी थी । उन्होंने विद्वान् एकल न्यायाधीश के समक्ष यह निवेदन किया कि 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज का दावा कठोर, अत्यधिक और असाम्यापूर्ण था और 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष से उच्चतर दर पर ब्याज प्रभारित नहीं किया जाना चाहिए । एकल न्यायाधीश ने ब्याज की मांग को 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की सीमा तक ही कायम रखा और 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की उच्चतर दर पर ब्याज की मांग को इस शर्त पर अपास्त कर दिया कि यदि विलंब से किए गए संदायों पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज तीन मास के भीतर संदत्त नहीं किया जाता है तो संबंधित रिट याची 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज संदत्त करने के दायी होंगे । विरोध करने वाले प्रत्यर्थियों ने यह कथन किया है कि उनमें से सभी ने विलंब से किए गए संदायों पर तीन मास की अवधि के भीतर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज का संदाय कर दिया है । राज्य सरकार ने एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देते हुए अंतर-न्यायालीय अपीलें फाइल कीं । उच्च न्यायालय की एक खंड न्यायपीठ ने तारीख 14 नवम्बर, 2009, 13 नवम्बर, 2006, 13 मार्च, 2007, 14 नवम्बर, 2006 और 4 नवम्बर, 2009 के आक्षेपित आदेशों द्वारा उन अपीलों को इस आधार पर खारिज कर दिया कि एकल न्यायाधीश का आदेश महाधिवक्ता की स्वीकृति/ रियायत पर आधारित था और इसलिए इस आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है । राज्य सरकार द्वारा विशेष इजाजत लेकर फाइल की गई इन अपीलों में उक्त आदेशों को चुनौती दी गई है । राज्य सरकार द्वारा फाइल की गई वर्तमान अपीलों में निम्नलिखित प्रश्न विचारार्थ उद्भूत हुए - (i) क्या राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले महाधिवक्ता ने 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज से संबंधित अधिनिर्णय से सहमति व्यक्त थी ? (ii) जब उच्च न्यायालय उद्ग्रहण को चुनौती देने वाली किसी रिट याचिका में, जो कि अंततः ब्याज का संदाय करने के लिए किसी विनिर्दिष्ट निदेश के बिना खारिज कर दी जाती है, संदाय के लिए की गई मांग के संबंध में अंतरिम रोक प्रदान कर देता है तब क्या प्रत्यर्थी अंतरिम आदेश के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए देय रकम पर ब्याज का दावा कर सकता है ? (iii) क्या नियम 64-क राज्य सरकार को समुचित या पात्र मामलों में 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष से कम दर पर ब्याज प्रभारित करने के लिए कोई विवेकाधिकार निहित करता है ? (iv) क्या अधिनिर्णीत 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर में वृद्धि करना अपेक्षित है ? उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलों को भागतः मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – विद्वान् एकल न्यायाधीश के समक्ष महाधिवक्ता ने एकमात्र दलील यह दी थी कि राज्य सरकार 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज की हकदार है । इसके बाद की गई यह मताभिव्यक्ति कि उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों की प्रवृत्ति के अनुसार राज्य सरकार को विलंब से किए गए संदायों पर कम से कम 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज मिलना चाहिए, विद्वान् एकल न्यायाधीश की मात्र मताभिव्यक्ति है न कि विद्वान् महाधिवक्ता द्वारा दी गई कोई रियायत है । इसके अलावा, विद्वान् एकल न्यायाधीश के आदेश के पश्चात्वर्ती पैरा से यह संदेह से परे स्पष्ट हो जाता है कि वह आदेश न तो सहमति पर और न ही रियायत पर आधारित था बल्कि वह इस न्यायालय के पूर्ववर्ती विनिश्चय का अनुसरण करते हुए गुणागुण के आधार पर किया गया था । इसलिए, उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ की यह उपधारणा कि विद्वान् महाधिवक्ता ने रियायत दी थी और विद्वान् एकल न्यायाधीश का आदेश एक सहमत आदेश था और इसलिए राज्य सरकार विद्वान् एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती नहीं दे सकेगी, स्पष्टतः त्रुटिपूर्ण है । अतः, खंड़ न्यायपीठ का आदेश कायम नहीं रखा जा सकता है । भले ही यह मान लिया जाए कि विद्वान् महाधिवक्ता ने यह दलील दी थी कि उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की वर्तमान प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, सरकार को स्वामिस्व की रकम के अंतर का विलंब से संदाय करने पर, कम से कम 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज मिलना चाहिए, तो भी वह न तो कोई स्वीकृति होगी और न ही कोई ऐसी रियायत कि राज्य सरकार ब्याज की दर के संबंध में 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ही ब्याज की हकदार है । यह साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स वाले विनिश्चय के प्रति निर्देश से किए गए एक कथन के सिवाय कुछ भी नहीं होगा और ऐसा कोई कथन तब आदेश को चुनौती दिए जाने के मार्ग में बाधक नहीं होगा यदि राज्य सरकार की यह राय है कि वह उच्चतर ब्याज दर प्राप्त करने की हकदार है । (पैरा 12 और 13)

जब कभी दर या टैरिफ में किसी पुनरीक्षण के संबंध में कोई अंतरिम रोकादेश दिया जाता है, तब जब तक अंतरिम रोक मंजूर करने वाले आदेश या रिट याचिका को खारिज करने वाले अंतिम आदेश में अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है, रिट याचिका के खारिज या अंतरिम आदेश के बातिल हो जाने पर अंतरिम आदेश के फायदाग्राही को उस रकम पर, जो अंतरिम आदेश के कारण विधारित की गई है या संदत्त नहीं की गई है, ब्याज का संदाय करना होगा । जहां कानून या संविदा में ब्याज की दर विनिर्दिष्ट की

गई है वहां प्रायः उसी दर पर ब्याज का संदाय करना होगा । जहां ब्याज के संदाय के लिए कोई कानूनी या संविदात्मक उपबंध न हो वहां भी न्यायालय को अंतिम रोकादेश को बातिल करते समय या रिट याचिका को खारिज करते समय जब तक ऐसा न करने के लिए विशेष कारण न हों, प्रत्यास्थापन के तौर पर किसी युक्तियुक्त दर पर ब्याज का संदाय करने का निदेश देना होगा । कोई अन्य निर्वचन करना बेईमान देनदारों को टैरिफ/दरों में किए गए पुनरीक्षण को चुनौती देते हुए रिट याचिकाएं फाइल करने और अंतिम रोकादेश अभिप्राप्त करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा । यदि विधारित की गई रकम पर समुचित ब्याज का संदाय करके प्रत्यास्थापन करने संबंधी बाध्यता को कड़ाई से लागू नहीं किया जाता है तो हारने वाला अन्यायपूर्ण मुकदमेबाजी का सहारा लेकर अंततः वित्तीय फायदा उठा लेगा और जीतने वाला अंत में अपना कोई दोष न होने पर भी वित्तीय रूप से हानि उठाएगा । (पैरा 17)

विरोध करने वाले प्रत्यर्थियों ने यह दलील दी कि नियम 64-क में यह उपबंध है कि राज्य सरकार 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर साधारण ब्याज प्रभारित कर "सकेगी", यह कि चूंकि यह एक समर्थकारी उपबंध है इसलिए 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज प्रभारित करने का कोई आदेश या बाध्यता नहीं है और यह कि इसलिए राज्य सरकार को समुचित पात्र मामलों में 24 प्रतिशत से कम दर पर ब्याज प्रभारित करने का विवेकाधिकार प्राप्त है । राज्य सरकार को ब्याज की दर के संबंध में ऐसा कोई विवेकाधिकार नहीं दिया गया है । यह नियम 31 और 27 और पट्टा विलेख के कानूनी प्ररूप (प्ररूप - ट) के निबंधनों को नियम 64-क के साथ पढ़ने से स्पष्ट हो जाएगा । (पैरा 18 और 19)

24 प्रतिशत ब्याज की दर पट्टे के मानक प्ररूप के भाग 6 के खंड (3) में उसी संशोधन अर्थात् सा. का. नि. सं. 129(अ), तारीख 20 फरवरी, 1991 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी जिसके द्वारा नियम 64-क में उक्त प्रतिशतता प्रतिस्थापित की गई थी । नियम 64-क में "साधारण ब्याज प्रभारित कर सकेगी" शब्दों को "अधिनियम या इन नियमों में के किसी अन्य नियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना" शब्दों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए । नियम 45(iv) में यह अपेक्षित है कि पट्टा-विलेख में यह शर्त होनी चाहिए कि यदि स्वामिस्व के संदाय में कोई व्यतिक्रम किया जाता है तो पट्टाकर्ता, किसी ऐसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो पट्टेदार के विरुद्ध की जा सकती है, पट्टे का पर्यवसान कर

सकेगा । इसलिए, जब "24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर साधारण ब्याज प्रभारित" शब्दों के प्रति निर्देश से प्रयुक्त "सकेगी" शब्द को नियम 64-क में आने वाले "अधिनियम या किसी अन्य नियम में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना" शब्दों के साथ पढ़ा जाता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जब कभी भाटक/स्वामिस्व/फीस देय हो जाती है तो पट्टाकर्ता के पास उपचार के तौर पर अनेक विकल्प होते हैं । यदि भंग में सुधार करने की सूचना देने के साठ दिन के पश्चात् भी भंग में सुधार नहीं किया जाता है तो पट्टाकर्ता पट्टे का पर्यवसान कर सकेगा । अनुकल्पतः, पट्टे का पर्यवसान करने की बजाय नियम में देय रकमों पर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज प्रभारित करने का विकल्प दिया गया है । राज्य सरकार के लिए तीसरा विकल्प पट्टे का पर्यवसान करना और बकाया देयों पर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज प्रभारित करना भी है । नियम 64-क में "सकेगी" शब्द का प्रयोग प्रभारित किए जाने वाले ब्याज की दर के संबंध में विवेकाधिकार देने के संदर्भ में नहीं किया गया है बल्कि राज्य सरकार को यह अनुकल्प या विकल्प देने के लिए किया गया है कि वह पट्टे का पर्यवसान करे या 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज प्रभारित करें या दोनों । अतः, जहां पट्टे का व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप पर्यवसान नहीं किया जाता है वहां राज्य को बकाया रकम पर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज प्रभारित करना होगा । नियमों में ही यह दर्शित करने के लिए अन्य सामग्री भी है कि नियम 64-क में उल्लिखित ब्याज की दर का नम्य होना आशयित नहीं था और उसमें उल्लिखित ब्याज की दर को असंदाय/व्यतिक्रम के सभी मामलों में लागू करना होगा । जब नियम 64-क में तारीख 20 फरवरी, 1991 की अधिसूचना द्वारा संशोधन किया गया था जिसके द्वारा ब्याज की दर बढ़ाकर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष कर दी गई थी, तब पट्टे के मानक प्ररूप (प्ररूप - ट) के भाग 4 के खंड (3) में भी संशोधन किया गया था और सभी देयों पर संदेय ब्याज की दर बढ़ाकर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष कर दी गई थी । प्ररूप - ट के उक्त खंड से यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्याज की दर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष होनी चाहिए और राज्य सरकार को किसी कम दर पर ब्याज प्रभारित करने का कोई विवेकाधिकार प्राप्त नहीं है । (पैरा 20 और 21)

यह सही है कि 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज बाजार में उधार की साधारण ब्याज दर से काफी अधिक है । किन्तु यह शास्तिक प्रकृति का नहीं है । खनन से प्राप्त होने वाला राजस्व राज्य सरकारों के गैर-कर

राजस्व का बहुत बड़ा स्रोत है । खनन पट्टेदारों से खनन देय तुरंत और व्यतिक्रम के बिना संदत्त करने की प्रत्याशा की जाती है । यदि नियमों के अधीन ब्याज की कम दर का उपबंध किया जाता है तो इसके परिणामस्वरूप बेईमान पट्टेदार विलंबकारी गतिविधियों में आलिप्त हो जाएंगे । नियम 64-क का आशय ब्याज की उच्चतर दर का उपबंध करके ऐसे व्यवहार को निरुत्साहित करना है जो कि राजस्व की वसूली के लिए हानिकर हो । अतः, जब राज्य सरकार पट्टे का पर्यवसान न करने का मार्ग अपना लेती है तो 24 प्रतिशत की दर पर ब्याज प्रभारित करना आज्ञापक है और राज्य सरकार के पास ब्याज की दर के संबंध में कोई विवेकाधिकार नहीं बचता । (पैरा 22)

जहां कानून या संविदा में ब्याज की विनिर्दिष्ट दर विहित की जाती है वहां न्यायालय को सामान्यतः ब्याज अधिनिर्णीत करते समय ऐसी दर को अंगीकार करना चाहिए सिवाय वहां जहां कि न्यायालय विशेष और आपवादिक कारणों से ब्याज की उच्चतर या निम्नतर दर अधिनिर्णीत करना चाहता है । अब इस बात पर विचार करना है कि क्या इस मामले में कानूनी ब्याज को घटाने के लिए कोई विशेष या आपवादिक परिस्थितियां हैं । विरोध करने वाले प्रत्यर्थियों में से एक (जे. के. उदयपुर उद्योग लिमिटेड) के मामले में, अंतरिम रोकादेश मंजूर करते समय कि स्पष्ट रूप से यह निदेश दिया गया था कि रिट याचिका में असफल होने की दशा में रिट याची को 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज का संदाय करना होगा । यह अंतरिम आदेश की शर्त थी और इसलिए यह संभव है कि पक्षकारों ने इस आधार पर सद्भाविक रूप से कार्यवाही की कि ब्याज केवल 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगा । विरोध करने वाले अन्य प्रत्यर्थियों की रिट याचिकाओं में, रोकादेश मंजूर करते समय ब्याज के संबंध में ऐसी कोई शर्त नहीं थी । किन्तु यह संभव है कि विरोध करने वाले प्रत्यर्थियों ने इस तथ्य के कारण कि रोकादेश मंजूर करते समय ब्याज का संदाय करने के लिए कोई शर्त नहीं थी, यह सोचा कि उन्हें कानूनी ब्याज-दर पर संदाय करने की आवश्यकता नहीं होगी । यह भी महत्वपूर्ण है कि राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् महाधिवक्ता ने विद्वान् एकल न्यायाधीश के समक्ष यह दलील दी थी कि राज्य सरकार केवल 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज की हकदार थी । इन मामलों की असाधारण और विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी उस स्वामित्व की बाबत जो तारीख 17 फरवरी, 1992 और उनकी अपनी-अपनी रिट याचिकाओं के खारिज किए जाने की तारीख के बीच देय हुआ था, 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष

की दर पर ब्याज के हकदार होंगे । रिट याचिकाओं के खारिज किए जाने के बाद की अवधि के लिए, विरोध करने वाले प्रत्यर्थी उक्त रकम पर संदाय की तारीख तक 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होंगे । अंतिम मामले (श्री सीमेंट) में विरोध करने वाले प्रत्यर्थी ने एक अतिरिक्त दलील दी । यह दलील दी गई थी कि उसके मामले में पट्टा-विलेख के खंड VI(iii) में यह उपबंध था कि ऐसा स्वामिस्व, जिसका विहित समय के भीतर संदाय नहीं किया गया था, 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर साधारण ब्याज का संदाय करेगा । पट्टा खनिज और रियायत नियम, 1960 द्वारा शासित होता है और पट्टा-विलेख का निष्पादन ही नियमों, अर्थात् नियम 31 की अपेक्षाओं में से एक अपेक्षा के अनुपालन में है । जब नियम 64-क में ब्याज की दर को बढ़ाकर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष करने वाली अधिसूचना द्वारा संशोधन कर दिया गया था तब पट्टा-विलेख में के किसी ऐसे निबंधन को, जिसमें ब्याज की कम दर विहित की गई है, उस तारीख से नियम 64-क के सामने समर्पण करना होगा क्योंकि नियम पट्टे के निबंधनों पर अभिभावी होगा । परिणामस्वरूप प्रत्येक मामले में ब्याज की दर निम्नलिखित रूप में उपांतरित की जाती है - (i) तारीख 17 फरवरी, 1992 से (तारीख 17 फरवरी, 1992 की अधिसूचना को चुनौती देने वाली) संबंधित रिट याचिका के खारिज किए जाने की तारीख तक स्वामिस्व इत्यादि के बकाया पर ब्याज की दर 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी । (ii) रिट याचिका के खारिज किए जाने की तारीख से संदाय करने की तारीख तक ब्याज की दर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी । (पैरा 27, 28, 29 और 30)

अवलंबित निर्णय

		पैरा
[2011]	(2011) 1 एस. सी. सी. 216 : **नव भारत फैरो एलायज़ लिमिटेड** बनाम **ट्रांसमिशन कारपोरेशन आफ आन्ध्र प्रदेश लिमिटेड** ;	15
[2005]	(2005) 13 एस. सी. सी. 151 : **राजस्थान हाउसिंग बोर्ड** बनाम **कृष्णा कुमारी** ;	15
[1997]	(1997) 5 एस. सी. सी. 772 : **कनोरिया केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड** ।	15,27,28

प्रभेदित निर्णय

[2001] (2001) 1 एस. सी. सी. 91 :
सौराष्ट्र सीमेंट एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड बनाम **भारत संघ** । 9,24,26

निर्दिष्ट निर्णय

[2003] (2003) 8 एस. सी. सी. 648 :
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम **मध्य प्रदेश रोज्य** ; 9,12,13,14, 16,23,24,25,29

[1995] (1995) सप्ली. (1) एस. सी. सी. 642 :
मध्य प्रदेश राज्य बनाम **महालक्ष्मी फैब्रिक मिल्स लिमिटेड** । 6,26

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2011 की सिविल अपील सं. 4927-4932.

1997 की एकल न्यायपीठ सिविल रिट याचिका सं. 4267 में राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर न्यायपीठ के तारीख 14 नवम्बर, 2006 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपीलें ।

उपस्थित होने वाले पक्षकारों की ओर से सर्वश्री हरीश साल्वे, सोली जे. सोराबजी, वी. शेखर, ज्येष्ठ अधिवक्ता, डा. मनीष सिंघवी, अपर महाधिवक्ता, डी. के. देवेश, साहिल एस. चौहान, मिलिंद कुमार, आर. गोपालकृष्णन्, यू. ए. राणा, देविना सहगल (मैसर्स गगरत एंड कंपनी की ओर से) प्रवीण कुमार और के. वी. मोहन

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति आर. वी. रवीन्द्रन ने दिया ।

न्या. रवीन्द्रन – इजाजत दी जाती है ।

2. विशेष इजाजत लेकर की गई इन अपीलों में अपीलार्थियों ने राजस्थान उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ के उन आदेशों को चुनौती दी

है जिनके द्वारा विद्वान् एकल न्यायाधीश के उस सामान्य आदेश के विरुद्ध फाइल की गई उनकी अपीलें खारिज कर दी गई थीं जिसके द्वारा स्वामिस्व के बकाया पर ब्याज 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की बजाय, जैसी कि राजस्थान राज्य द्वारा मांग की गई थी, 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक निर्बंधित कर दिया गया था ।

3. इन अपीलों में से प्रत्येक में प्रथम प्रत्यर्थी चूना पत्थर के खनन पट्टे का धारक है या था । खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (जिसे संक्षेप में "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 9 खनन पट्टों की बाबत स्वामिस्वों के संबंध में है । उसकी उपधारा (2) में खनन पट्टे के धारक से यह अपेक्षित है कि वह पट्टाकृत क्षेत्र में से उसके द्वारा हटाए या खपाए गए किसी खनिज की बाबत उस दर पर स्वामिस्व का संदाय करे जो उस खनिज की बाबत अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में तत्समय विनिर्दिष्ट है । उसकी उपधारा (3) केन्द्रीय सरकार को राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा द्वितीय अनुसूची में संशोधन करने के लिए सशक्त करती है जिससे कि उन दरों में वृद्धि की जा सके जिन पर किसी खनिज की बाबत ऐसी तारीख से जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, स्वामिस्व संदेय होगा ।

4. केन्द्रीय सरकार ने तारीख 3 मई, 1987 की अधिसूचना द्वारा अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में संशोधन किया था और चूना पत्थर की बाबत स्वामिस्व 4.50 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 10 रुपए प्रति टन कर दिया था । तारीख 17 फरवरी, 1992 की अधिसूचना द्वारा, अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में पुनः संशोधन किया गया था और चूना पत्थर के लिए स्वामिस्व की दर 10 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 25 रुपए प्रति टन कर दी गई थी ।

5. इन अपीलों में संबंधित प्रथम प्रत्यर्थी ने (जिन्हें एक साथ "विरोध करने वाले प्रत्यथा" कहा गया है) अधिनियम की धारा 9(3) और तारीख 17 फरवरी, 1992 की उस अधिसूचना की सांविधानिक विधिमान्यता को चुनौती देते हुए, जिसके द्वारा स्वामिस्व की दर 10 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 25 रुपए प्रति टन कर दी गई थी, रिट याचिकाएं फाइल कीं । उच्च न्यायालय ने सभी मामलों में (सिवाय जे. के. उदयपुर उद्योग लिमिटेड के मामले में) अंतरिम आदेश जारी कर दिए थे, जिनके द्वारा राज्य सरकार को यह निदेश दिया गया था कि वह रिट याचियों द्वारा 10 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर पर स्वामिस्व का संदाय करने और 15 रुपए प्रति

मीट्रिक टन के अंतर के लिए बैंक प्रतिभूति प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए तारीख 17 फरवरी, 1992 की अधिसूचना के अनुसरण में 25 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर पर स्वामिस्व की वसूली करने संबंधी प्रपीड़क कदम न उठाए । जे. के. उदयपुर उद्योग लिमिटेड के मामले में, उच्च न्यायालय ने इस अतिरिक्त शर्त के साथ अन्य मामलों की तरह अंतरिम आदेश किया कि यदि उक्त रिट याची अंततोगत्वा रिट याचिका में असफल हो जाता है तो रिट याची से देय बकाया रकम की वसूली 18 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज सहित की जाएगी ।

6. अंततः विरोध करने वाले प्रत्यर्थियों द्वारा अधिनियम की धारा 9(3) और स्वामिस्व में वृद्धि करने वाली तारीख 17 फरवरी, 1992 की अधिसूचना को चुनौती देते हुए फाइल की गई अनेक रिट याचिकाएं **मध्य प्रदेश राज्य** बनाम **महालक्ष्मी फैब्रिक मिल्स लिमिटेड**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का अनुसरण करते हुए वर्ष 1996 में खारिज कर दी गई थी जिसमें इस न्यायालय ने अधिनियम की धारा 9(3) और स्वामिस्व की दर को पुनरीक्षित करने वाली अधिसूचना की विधिमान्यता को कायम रखा गया था । ऐसी खारिजी के परिणामस्वरूप विरोध करने वाले प्रत्येक प्रत्यर्थी ने यह दावा किया है कि उन्होंने वर्ष 1996-1997 में स्वामिस्व के अंतर (अर्थात्, 15 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर पर) का संदाय कर दिया है ।

7. खनिज रियायत नियम, 1960 (जिन्हें संक्षेप में "नियम" कहा गया है) के नियम 64-क में स्वामिस्व और अन्य देयों के बकाया पर ब्याज उद्गृहीत करने का उपबंध है और उसे नीचे उद्धृत किया जाता है :–

> *"64-क राज्य सरकार, अधिनियम या इन नियमों में के किसी अन्य नियम में अंतर्विष्ट उपबंधों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी भाटक, स्वामिस्व या नियम 54 के नियम (1) के अधीन संदेय फीस से भिन्न फीस, या अधिनियम या इन नियमों के अधीन या किसी

---

* अंग्रेजी में यह इस प्रकार है :–

> "64-A. The State Government may, without prejudice to the provisions contained in the Act or any other rule in these rules, charge simple interest at the rate of 24% per annum on any rent, royalty or fee, other than the fee payable under sub-

[1] (1995) सप्ली. (1) एस. सी. सी. 642.

पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के निबंधनों और शर्तों के अधीन उस सरकार को देय किसी अन्य धनराशि पर ऐसे स्वामिस्व, भाटक, फीस या अन्य धनराशि का संदाय करने के लिए उस सरकार द्वारा नियत तारीख के अवसान होने के साठवें दिन से ऐसे स्वामिस्व, भाटक, फीस या अन्य धनराशि का संदाय किए जाने तक 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर साधारण ब्याज प्रभारित कर सकेगी ।"

8. राजस्थान राज्य ने विरोध करने वाले प्रत्यर्थियों को निम्नलिखित मांग सूचनाएं जारी कीं जिनमें उनसे नियमों के नियम 64-क के अधीन उस स्वामिस्व के अंतर पर, जो उनके द्वारा अभिप्राप्त अंतरिम आदेशों के कारण विधारित किया गया था और जिनका संदाय उनकी रिट याचिकाओं के खारिज हो जाने के पश्चात् विलंब से किया गया था, 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज संदत्त करने की मांग की गई थी :–

क्रम सं.	पट्टेदार का नाम	रिट याचिका सं. (जिसमें स्थगन आभिप्राप्त किया गया था)	मांगा गया ब्याज (रुपयों में)	मांग की तारीख
1.	जे. के. सिंथेटिक लिमिटेड	1992 की रिट याचिका सं. 5721	6,98,54,031	6.11.1997
2.	बिरला कारपोरेशन लिमिटेड	1992 की रिट याचिका सं. 6008	5,99,81,784	24.7.1997
3.	जे. के. उदयपुर उद्योग लिमिटेड	1993 की रिट याचिका सं. 3871	1,12,76,364	12.3.1997

---

rule (1) of Rule 54, or other sum due to that government under the Act or these rules or under the terms and conditions of any prospecting licence or mining lease from the sixtieth day of the expiry of the date fixed by that government for payment of such royalty, rent fee or other sum and until payment of such royalty, rent fee or other suit is made."

4.	जे. के. सिंथेटिक लिमिटेड	1992 की रिट याचिका सं. 5300	20,04,474	24.7.1997
5.	जे. के. कारपोरेशन लिमिटेड	1992 की रिट याचिका सं. 5202	1,83,10,418	4.11.1996
6.	श्री सीमेंट लिमिटेड	1992 की रिट याचिका सं. 5004	2,91,89,622	21.1.1997

9. विरोध करने वाले प्रत्यर्थियों ने इस प्रक्रम पर यह दलील देते हुए ब्याज की मांग करने वाली सूचनाओं को चुनौती देते हुए दूसरी बार रिट याचिकाएं फाइल कीं कि वे ब्याज का संदाय करने के लिए दायी नहीं हैं । उन्होंने नियमों के नियम 64-क की विधिमान्यता को भी चुनौती दी थी । उन याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान इस न्यायालय ने **साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में नियम 64-क की विधिमान्यता को कायम रखा था । उस मामले के विशिष्ट तथ्यों के आधार पर, जिनकी अवेक्षा उक्त निर्णय के पैरा 30 में की गई थी, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किए गए उस विवेकाधिकार में हस्तक्षेप नहीं करेगा जिसके द्वारा ब्याज की दर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष से घटाकर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष कर दी गई थी और यह स्पष्ट कर दिया गया था कि तथापि, इसे किसी अन्य मामले में पूर्व-निर्णय के रूप में नहीं माना जाएगा । उक्त विनिश्चय के पश्चात् विरोध करने वाले प्रत्यर्थियों द्वारा फाइल की गई रिट याचिकाओं में ब्याज की दर पर विचार किया जाना शेष था । विरोध करने वाले प्रत्यर्थियों ने रिट याचियों के रूप में विद्वान् एकल न्यायाधीश के समक्ष यह निवेदन किया कि 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज का दावा कठोर, अत्यधिक और असाम्यापूर्ण था और 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष से उच्चतर दर पर ब्याज प्रभारित नहीं किया जाना चाहिए । उन्होंने **सौराष्ट्र सीमेंट एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड** बनाम **भारत संघ**[2] वाले मामले में इस न्यायालय के

---

[1] (2003) 8 एस. सी. सी. 648.

[2] (2001) 1 एस. सी. सी. 91.

विनिश्चय का अवलंब लिया जिसमें इस न्यायालय ने असंदत्त स्वामिस्व पर उच्च न्यायालय द्वारा अधिरोपित ब्याज की दर (18 प्रतिशत प्रतिवर्ष) को घटाकर 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष कर दिया था । विद्वान् एकल न्यायाधीश ने तारीख 11 अगस्त, 2005 के सामान्य आदेश द्वारा विरोध करने वाले छह प्रत्यर्थियों की रिट याचिकाएं भागतः मंजूर कर ली । उसने यह उल्लेख किया कि महाधिवक्ता ने यह निवेदन किया था कि राज्य सरकार 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज की हकदार थी । विद्वान् एकल न्यायाधीश ने यह उल्लेख किया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निदेशों की प्रवृत्ति से यह दर्शित होता था कि राज्य को विलंब से किए गए संदायों पर कम से कम 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज मिलना चाहिए । परिणामस्वरूप, उसने ब्याज की मांग को 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की सीमा तक ही कायम रखा और 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की उच्चतर दर पर ब्याज की मांग को इस शर्त पर अपास्त कर दिया कि यदि विलंब से किए गए संदायों पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज तीन मास के भीतर संदत्त नहीं किया जाता है तो संबंधित रिट याची 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज संदत्त करने के दायी होंगे । विरोध करने वाले प्रत्यर्थियों ने यह कथन किया है कि उनमें से सभी ने विलंब से किए गए संदायों पर तीन मास की अवधि के भीतर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज का संदाय कर दिया है । तथापि, स्थिति वही है ।

10. राज्य सरकार ने विद्वान् एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देते हुए अंतर-न्यायालीय अपीलें फाइल कीं । उच्च न्यायालय की एक खंड न्यायपीठ ने तारीख 14 नवम्बर, 2009, 13 नवम्बर, 2006, 13 मार्च, 2007, 14 नवम्बर, 2006 और 4 नवम्बर, 2009 के आक्षेपित आदेशों द्वारा उन अपीलों को इस आधार पर खारिज कर दिया कि विद्वान् एकल न्यायाधीश का आदेश विद्वान् महाधिवक्ता की स्वीकृति/रियायत पर आधारित था और इसलिए इस आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है । राज्य सरकार द्वारा विशेष इजाजत लेकर फाइल की गई इन अपीलों में उक्त आदेशों को चुनौती दी गई है ।

11. जो दलीलें दी गई हैं, उनसे निम्नलिखित प्रश्न विचारार्थ उद्भूत होते हैं :–

(i) क्या राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले महाधिवक्ता ने 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज से संबंधित अधिनिर्णय से सहमति व्यक्त थी ?

(ii) जब उच्च न्यायालय उद्ग्रहण को चुनौती देने वाली किसी रिट याचिका में, जो कि अंततः ब्याज का संदाय करने के लिए किसी विनिर्दिष्ट निदेश के बिना खारिज कर दी जाती है, संदाय के लिए की गई मांग के संबंध में अंतरिम रोक प्रदान कर देता है तब क्या प्रत्यर्थी अंतरिम आदेश के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए देय रकम पर ब्याज का दावा कर सकता है ?

(iii) क्या नियम 64-क राज्य सरकार को समुचित या पात्र मामलों में 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष से कम दर पर ब्याज प्रभारित करने के लिए कोई विवेकाधिकार निहित करता है ?

(iv) क्या अधिनिर्णीत 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर में वृद्धि करना अपेक्षित है ?

प्रश्न सं. (i) के संबंध में

12. प्रथम प्रश्न यह है कि क्या विद्वान् एकल न्यायाधीश का आदेश किसी सहमति पर आधारित है और क्या राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् महाधिवक्ता ने इस बात को स्वीकार किया था कि राज्य सरकार केवल 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज की हकदार है । हम विद्वान् एकल न्यायाधीश के आदेश के सुसंगत भाग को नीचे उद्धृत करते हैं जिसमें विद्वान् महाधिवक्ता द्वारा किए गए निवेदन के प्रति निर्देश किया गया है :–

> "दूसरी ओर, विद्वान् महाधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि राज्य सरकार 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज की हकदार है किन्तु माननीय उच्चतम न्यायालय की वर्तमान प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, सरकार को स्वामिस्व की रकम के अंतर का विलंब से संदाय करने पर कम से कम 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज अवश्य मिलना चाहिए, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने **साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स** (उपर्युक्त) वाले मामले में अधिनिर्णीत किया है ।
>
> पक्षकारों के विद्वान् काउन्सेलों की सुनवाई करने के पश्चात् मेरी यह राय है कि प्रस्तुत मामले के तथ्यों और उसकी परिस्थितियों में, **साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स** (उपर्युक्त) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज की मांग से न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी ।"

विद्वान् एकल न्यायाधीश के समक्ष महाधिवक्ता ने एकमात्र दलील यह दी

थी कि राज्य सरकार 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज की हकदार है । इसके बाद की गई यह मताभिव्यक्ति कि उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों की प्रवृत्ति के अनुसार राज्य सरकार को विलंब से किए गए संदायों पर कम से कम 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज मिलना चाहिए, जैसा कि **साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स** (उपर्युक्त) वाले विनिश्चय में अधिनिर्णीत किया गया है, विद्वान् एकल न्यायाधीश की मात्र मताभिव्यक्ति है न कि विद्वान् महाधिवक्ता द्वारा दी गई कोई रियायत है । इसके अलावा, विद्वान् एकल न्यायाधीश के आदेश के पश्चात्वर्ती पैरा से यह संदेह से परे स्पष्ट हो जाता है कि वह आदेश न तो सहमति पर और न ही रियायत पर आधारित था बल्कि वह **साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का अनुसरण करते हुए गुणागुण के आधार पर किया गया था । इसलिए, उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ की यह उपधारणा कि विद्वान् महाधिवक्ता ने रियायत दी थी और विद्वान एकल न्यायाधीश का आदेश एक सहमत आदेश था और इसलिए राज्य सरकार विद्वान् एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती नहीं दे सकेगी, स्पष्टतः त्रुटिपूर्ण है । अतः, खंड न्यायपीठ का आदेश कायम नहीं रखा जा सकता है ।

13. भले ही यह मान लिया जाए कि विद्वान् महाधिवक्ता ने यह दलील दी थी कि उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की वर्तमान प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, सरकार को स्वामिस्व की रकम के अंतर का विलंब से संदाय करने पर, जैसा कि **साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स** (उपर्युक्त) वाले मामले में अधिनिर्णीत किया गया था, कम से कम 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज मिलना चाहिए, तो भी वह न तो कोई स्वीकृति होगी और न ही कोई ऐसी रियायत कि राज्य सरकार ब्याज की दर के संबंध में 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ही ब्याज की हकदार है । यह **साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स** (उपर्युक्त) वाले विनिश्चय के प्रति निर्देश से किए गए एक कथन के सिवाय कुछ भी नहीं होगा और ऐसा कोई कथन तब आदेश को चुनौती दिए जाने के मार्ग में बाधक नहीं होगा यदि राज्य सरकार की यह राय है कि वह उच्चतर ब्याज दर प्राप्त करने की हकदार है ।

प्रश्न सं. (ii) के संबंध में

14. विरोध करने वाले प्रत्यर्थियों ने ब्याज की मांग और नियम 64-क की विधिमान्यता को इन दो आधारों पर चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी बार रिट याचिकाएं फाइल कीं : कि नियम 64-क अविधिमान्य था; यह कि ब्याज की दर अत्यधिक थी । विद्वान् एकल न्यायाधीश ने

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स (उपर्युक्त) वाले इस विनिश्चय को ध्यान में रखते हुए प्रथम दलील को नकार दिया । तथापि, उसने द्वितीय दलील को स्वीकार कर लिया और ब्याज की दर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष तक निर्बंधित कर दी । विरोध करने वाले प्रत्यर्थियों ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती नहीं दी है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वे 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज का संदाय करने के लिए दायी हैं । उन्होंने वास्तव में उस दर पर ब्याज का संदाय कर दिया है । हमारे समक्ष ब्याज की दर में वृद्धि करने संबंधी राज्य के दावे का विरोध करने के लिए दी गई दलीलों का संबंध स्वयं दायित्व के बारे में मूल प्रश्न से है । यह दलील दी गई थी कि उनके द्वारा वृद्धि को चुनौती दिए जाने के कारण और उच्च न्यायालय के अंतरिम रोकादेश को ध्यान में रखते हुए वे स्वामिस्व की रकम में हुई वृद्धि पर ब्याज संदत्त करने के लिए दायी नहीं थे । विरोध करने वाले प्रत्यर्थियों द्वारा यह दलील दी गई थी कि भले ही स्वामिस्व की दर पुनरीक्षित करने वाली तारीख 17 फरवरी, 1992 की अधिसूचना को चुनौती देने वाली रिट याचिकाएं अंततः खारिज कर दी गई थीं, तो भी उच्च न्यायालय द्वारा स्वामिस्व की रकम के अंतर पर ब्याज संदाय करने के संबंध में कोई विनिर्दिष्ट निदेश न दिए जाने के कारण वे रोकादेश के प्रवर्तन में रहने की अवधि के दौरान कोई ब्याज संदत्त करने के लिए दायी नहीं थे । यह प्रश्न अब अनिर्णीत विषय नहीं रहा है । हम इस न्यायालय के ऐसे विनिश्चयों के प्रति निर्देश कर सकते हैं जिनमें रोकादेश की अवधि के लिए, जब रोकादेश अंततः बातिल कर दिया जाता है, ब्याज का संदाय करने संबंधी दायित्व के बारे में स्पष्ट रूप से अधिकथित किया गया है ।

15. **कनोरिया केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड**[1] वाले मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि विद्युत प्रभारों को पुनरीक्षित करने वाली किसी अधिसूचना में रोक मंजूर कर दिए जाने का प्रभाव उपभोक्ता को, यदि और जब भी रिट याचिकाएं अंततः खारिज कर दी जाती हैं, अंतरिम रोक के कारण उसके द्वारा विधारित रकम पर ब्याज (या विलंब संदाय अधिभार) संदत्त करने संबंधी उसकी बाध्यता से अवमुक्त करना नहीं होता है । उक्त सिद्धांत निम्नलिखित तर्काधार पर आधारित था :–

---

[1] (1997) 5 एस. सी. सी. 772.

"अन्यथा अभिनिर्धारित करने का अभिप्राय यह होगा कि यद्यपि विद्युत बोर्ड, जो कि रिट याचिकाओं में प्रत्यर्थी था, उनमें सफल रहा है तथापि, उसे विलंब से किए गए संदाय पर अधिभार से, जो कि उसे टैरिफ नियमों/ विनियमों के अधीन देय था, वंचित किया गया है । यह ऐसा मामला होगा जिसमें बोर्ड न्यायालय के आदेशों के कारण और अपना कोई दोष न होने पर भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है । वह रिट याचिकाओं में सफल हो जाता है किन्तु फिर भी नुकसान उठाता है । उपभोक्ता रिट याचिका फाइल करता है, दरों को पुनरीक्षित करने वाली अधिसूचना के प्रवर्तन पर रोकादेश प्राप्त करता है और अधिसूचना की विधिमान्यता को दी गई चुनौती में असफल होता है फिर भी उसे रोक की अवधि के लिए विलंब से किए गए संदाय पर अधिभार का संदाय करने की बाध्यता से अवमुक्त कर दिया जाता है, जिसका संदाय करने के लिए वह प्रदाय के कानूनी निबंधनों और शर्तों के अनुसार दायी है - जो निबंधन और शर्तें वास्तव में उसके द्वारा बोर्ड के साथ की गई प्रदाय संबंधी संविदा का भाग गठित करते हैं । हम यह नहीं समझते कि ऐसी कोई अनुचित और असाम्यापूर्ण प्रतिपादना विधि की दृष्टि से कायम रखी जा सकती है ।....

यह भी समान रूप से सुस्थापित है कि किसी रिट याचिका/वाद या अन्य कार्यवाही का निपटारा होने तक मंजूर किए गए रोकादेश का मूल कार्यवाही के खारिज हो जाने के साथ ही अंत हो जाता है और यह कि ऐसे मामले में न्यायालय का यह कर्तव्य होता है कि वह पक्षकारों को उसी स्थिति में ला दें जिसमें वे न्यायालय के अंतरिम आदेशों के न होने पर थे । कोई अन्य दृष्टिकोण अपनाने का परिणाम न्यायालय के कार्य या आदेश द्वारा पक्षकार पर (इस मामले में बोर्ड) उसके किसी दोष के बिना उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालना होगा और इसका अभिप्राय रिट याची को उसके असफल होने के बावजूद पुरस्कृत करना होगा । हम यह नहीं समझते कि न्यायालयों द्वारा ऐसे किसी अन्यायपूर्ण परिणाम का समर्थन किया जा सकता है । वास्तव में, इस मामले में उपभोक्ताओं द्वारा तर्कसम्मत रूप से दी गई दलील का अर्थ यह होना चाहिए कि रोकादेश के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए भी वृद्धित दरें इसलिए संदेय नहीं हैं क्योंकि टैरिफ में पुनरीक्षण/वृद्धि करने वाली अधिसूचना के प्रवर्तन पर ही रोक लगा दी

गई थी । अपीलार्थियों की ओर से ऐसी कोई दलील नहीं दी गई थी । यह अबोधगम्य है कि यह कैसे कहा जा सकता है कि वृद्धित दरें तो संदेय हैं किन्तु उन पर विलंब से किए गए संदाय के लिए अधिभार संदेय नहीं है जब कि वृद्धि और विलंब से किए जाने वाले संदाय पर अधिभार के लिए उसी अधिसूचना में उपबंध किया गया है जिसके प्रवर्तन पर रोक लगाई गई थी ।" (जोर देने के लिए रेखांकित)

उपर्युक्त सिद्धांतों का इस न्यायालय द्वारा **राजस्थान हाउसिंग बोर्ड** बनाम **कृष्णा कुमारी**[1] और **नव भारत फैरो एलायज़ लिमिटेड** बनाम **ट्रांसमिशन कारपोरेशन आफ आन्ध्र प्रदेश लिमिटेड**[2] वाले मामलों में अनुसरण किया गया है और उन्हें दोहराया गया है ।

16. इस न्यायालय द्वारा **साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स** (उपर्युक्त) वाले मामले में नियम 64-क की सांविधानिक विधिमान्यता की परीक्षा करते समय इसी प्रश्न पर विचार किया गया था । इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज का संदाय करने के लिए उपबंध करने वाला नियम 64-क विधिमान्य है । उस मामले में भी, इस न्यायालय के समक्ष यह दलील दी गई थी कि स्वामिस्व की बढ़ाई गई रकम का संदाय न करना उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेशों द्वारा संरक्षित था और इसलिए उन्हें तब तक ब्याज का संदाय करने लिए दायी नहीं ठहराया जाना चाहिए जब तक कि वह धनराशि अंतरिम आदेशों के संरक्षात्मक छत्र के अधीन विधारित की गई थी । इसके अलावा, यह दलील दी गई थी कि मात्र इस कारण कि रिट याचिका अंतिम रूप से खारिज कर दी गई थी, इसका परिणाम यह नहीं है कि अंतिम आदेश दूषित या त्रुटिपूर्ण हो जाता है क्योंकि वह अब भी पूर्णतः न्यायोचित अंतिम आदेश है । इसके अलावा यह दलील दी गई थी कि चूंकि उन्होंने तारीख 17 फरवरी, 1992 की अधिसूचना की विधिमान्यता को कायम रखे जाने के ठीक पश्चात् स्वामिस्व में के अंतर का संदाय करके अपनी सद्भाविकता दर्शित कर दी थी इसलिए उन्हें ब्याज का संदाय करने के लिए दायी नहीं ठहराया जा सकता था । इन सभी दलीलों को इस न्यायालय द्वारा इस आधार पर नामंजूर कर दिया गया था कि प्रत्यास्थापन के सिद्धांत से उक्त

---

[1] (2005) 13 एस. सी. सी. 151.

[2] (2011) 1 एस. सी. सी. 216.

निवेदनों का पूरा उत्तर मिल जाता है । इस न्यायालय ने निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया :–

> "प्रत्यास्थापन के सिद्धांत को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 144 में कानूनी रूप से मान्यता दी गई है । सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत न केवल वह डिक्री आती है जिसमें फेरफार या उलटाव किया गया है, जो अपास्त या उपांतरित की गई है बल्कि उसमें ऐसा आदेश भी आता है जो डिक्री के समतुल्य है । इस उपबंध की परिधि काफी व्यापक है जिससे कि उसमें किसी डिक्री या आदेश में लगभग सभी किस्म के फेरफार, उलटाव, अपास्त करना या उपांतरण आ सके । न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश अंतिम विनिश्चय में विलीन हो जाता है । किसी पक्षकार के पक्ष में पारित अंतरिम आदेश की विधिमान्यता अंतिम विनिश्चय के अंतरिम प्रक्रम पर सफल हुए पक्षकार के विरुद्ध जाने की दशा में उलट जाती है । जब तक न्यायालय द्वारा अन्यथा आदेश नहीं कर दिया जाता है, अंततः सफल पक्षकार सभी समीचीनता के साथ प्रतिकर और उसी स्थिति में रखने की मांग करने में न्यायोचित होगा जिसमें वह तब होता यदि उसके विरुद्ध अंतरिम आदेश पारित न किया गया होता । सफल पक्षकार (क) विरोधी पक्षकार द्वारा न्यायालय के अंतरिम आदेश के अधीन अर्जित फायदे के परिदान, या (ख) उसे जो हानि हुई है उसके प्रत्यास्थापन की मांग कर सकता है; और तब तक ऐसा करना न्यायालय का कर्तव्य है जब तक उसे यह महसूस नहीं होता है कि मामले के तथ्यों और उसकी परिस्थितियों में प्रत्यास्थापन से न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति होना तो दूर वे विफल हो जाएंगे । प्रत्यास्थापन के सिद्धांतों का अवलंब लेकर अंतरिम आदेश के प्रभाव को समाप्त करना उस पक्षकार की बाध्यता है जिसने न्यायालय के अंतरिम आदेश से लाभ उठाया है जिससे कि पारित किए गए उस अंतरिम आदेश के प्रभाव को समाप्त किया जा सकता जिसे न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय के प्रक्रम पर अंगीकृत तर्काधार को देखते हुए पूर्ववर्ती न्यायालय ने पारित नहीं किया होता या पारित नहीं किया जाना चाहिए था । पक्षकारों को उसी स्थिति में, जिसमें वे तब होते यदि अंतरिम आदेश अस्तित्व में न रहा होता, प्रत्यावर्तित करने के लिए किए जाने वाले किसी प्रयास में कोई दोष नहीं है ।"

17. अतः, यह स्पष्ट है कि जब कभी दर या टैरिफ में किसी

पुनरीक्षण के संबंध में कोई अंतरिम रोकादेश दिया जाता है, तब जब तक अंतरिम रोक मंजूर करने वाले आदेश या रिट याचिका को खारिज करने वाले अंतिम आदेश में अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है, रिट याचिका के खारिज या अंतरिम आदेश के बातिल हो जाने पर अंतरिम आदेश के फायदाग्राही को उस रकम पर, जो अंतरिम आदेश के कारण विधारित की गई है या संदत्त नहीं की गई है, ब्याज का संदाय करना होगा । जहां कानून या संविदा में ब्याज की दर विनिर्दिष्ट की गई है वहां प्रायः उसी दर पर ब्याज का संदाय करना होगा । जहां ब्याज के संदाय के लिए कोई कानूनी या संविदात्मक उपबंध न हो वहां भी न्यायालय को अंतिम रोकादेश को बातिल करते समय या रिट याचिका को खारिज करते समय जब तक ऐसा न करने के लिए विशेष कारण न हों, प्रत्यास्थापन के तौर पर किसी युक्तियुक्त दर पर ब्याज का संदाय करने का निदेश देना होगा । कोई अन्य निर्वचन करना बेइमान देनदारों को टैरिफ/दरों में किए गए पुनरीक्षण को चुनौती देते हुए रिट याचिकाएं फाइल करने और अंतिम रोकादेश अभिप्राप्त करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा । यदि विधारित की गई रकम पर समुचित ब्याज का संदाय करके प्रत्यास्थापन करने संबंधी बाध्यता को कड़ाई से लागू नहीं किया जाता है तो हारने वाला अन्यायपूर्ण मुकदमेबाजी का सहारा लेकर अंततः वित्तीय फायदा उठा लेगा और जीतने वाला अंत में अपना कोई दोष न होने पर भी वित्तीय रूप से हानि उठाएगा । तथापि, स्थिति वही है ।

प्रश्न सं. (iii) के संबंध में

18. विरोध करने वाले प्रत्यर्थियों ने यह दलील दी कि नियम 64-क में यह उपबंध है कि राज्य सरकार 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर साधारण ब्याज प्रभारित कर 'सकेगी', यह कि चूंकि यह एक समर्थकारी उपबंध है इसलिए 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज प्रभारित करने का कोई आदेश या बाध्यता नहीं है और यह कि इसलिए राज्य सरकार को समुचित पात्र मामलों में 24 प्रतिशत से कम दर पर ब्याज प्रभारित करने का विवेकाधिकार प्राप्त है । यह दलील दी गई है कि यदि विधायी आशय स्वामिस्व/भाटक/फीस के विलंबित संदाय के सभी मामलों में बिना अपवाद के 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज के लिए उपबंध करना था तो इस नियम की भाषा भिन्न होती और वह निम्न प्रकार पठित होता : जब कभी अधिनियम या नियमों के अधीन या किसी पूर्वोक्षण अनुज्ञप्ति या खनन पट्टे के अधीन सरकार को देय कोई भाटक, स्वामिस्व या फीस या अन्य

धनराशि नियत तारीख तक संदत्त नहीं कर दी जाती है, तब पट्टेदार या अनुज्ञप्तिधारी विलंब से किए जाने वाले संदाय पर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज का संदाय करेगा । प्रत्यर्थियों द्वारा यह दलील दी गई है कि नियमों में प्रयुक्त 'सकेगी (may)' शब्द का पठन सरकार में ब्याज प्रभारित करने या ब्याज प्रभारित न करने का विवेकाधिकार निहित करने के रूप में किया जाना चाहिए और यदि ब्याज प्रभारित किया जाना है तो वह 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अनधिक किसी दर पर प्रभारित किया जाएगा ।

19. नियमों का सावधानीपूर्वक पठन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्य सरकार को ब्याज की दर के संबंध में ऐसा कोई विवेकाधिकार नहीं दिया गया है । यह नियम 31 और 27 और पट्टा विलेख के कानूनी प्ररूप (प्ररूप-ट) के निबंधनों को नियम 64-क के साथ पढ़ने से स्पष्ट हो जाएगा । नियम 31 में यह उपबंध है कि जहां कोई खनन पट्टा मंजूर करने के लिए कोई आदेश किया जाता है वहां प्ररूप-ट (या उस प्ररूप में जो उसके समान हो, जैसा कि प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित हो) एक पट्टा विलेख निष्पादित किया जाएगा । नियम 27 में यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि प्रत्येक खनन पट्टा उसमें उल्लिखित शर्तों के अध्यधीन होगा । नियम 27 के खंड (5) में पर्यवसान के प्रति निर्देश किया गया है :–

> *"(5) यदि पट्टेदार, धारा 9 के अधीन यथापेक्षित स्वामिस्व के संदाय या धारा 9क के अधीन यथापेक्षित अनिवार्य भाटक का संदाय करने में कोई व्यतिक्रम करता है या उपनियम (1) के खंड (च) में निर्दिष्ट शर्त के सिवाय उपनियम (1), (2) और (3) में विनिर्दिष्ट शर्तों में से किसी शर्त का उल्लंघन करता है तो राज्य सरकार पट्टेदार को सूचना देगी जिसमें उससे सूचना की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के भीतर, यथास्थिति, स्वामिस्व या अनिवार्य भाटक का

---

* अंग्रेजी में यह इस प्रकार है :–

> "(5) If the lessee makes any default in the payment of royalty as required under section 9 or payment of dead rent as required under section 9A or commits a breach of any of the conditions specified in sub-rules (1), (2) and (3) except the condition referred to in clause (f) of sub-rule (1), the State Government shall give notice to the lessee requiring him to pay the royalty or dead rent or remedy the breach, as the case

संदाय करने या भंग का उपचार करने की अपेक्षा की जाएगी और उक्त अवधि के भीतर स्वामिस्व या अनिवार्य भाटक का संदाय नहीं किया जाता है या भंग का उपचार नहीं किया जाता है तो राज्य सरकार, ऐसी किन्हीं अन्य कार्यवाहियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो कि उसके विरुद्ध की जा सकेंगी, पट्टे का पर्यवसान कर सकेगी और प्रतिभूति निक्षेप को पूर्णतः या भागतः समपहृत कर सकेगी ।"

उपर्युक्त उपबंध तदनुसार पट्टे के मानक प्ररूप (प्ररूप-ट) के भाग 9 के खंड (2) में शामिल किया गया है ।

20. 24 प्रतिशत ब्याज की दर पट्टे के मानक प्ररूप के भाग 6 के खंड (3) में उसी संशोधन अर्थात् सा. का. नि. सं. 129(अ), तारीख 20 फरवरी, 1991 द्वारा प्रतिस्थापित की गई थी जिसके द्वारा नियम 64क में उक्त प्रतिशतता प्रतिस्थापित की गई थी । नियम 64-क में "साधारण ब्याज प्रभारित कर सकेगी" शब्दों को "अधिनियम या इन नियमों में के किसी अन्य नियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना" शब्दों के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, नियम 45(iv) में यह अपेक्षित है कि पट्टा विलेख में यह शर्त होनी चाहिए कि यदि स्वामिस्व के संदाय में कोई व्यतिक्रम किया जाता है तो पट्टाकर्ता, किसी ऐसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो पट्टेदार के विरुद्ध की जा सकती है, पट्टे का पर्यवसान कर सकेगा । इसलिए, जब "24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर साधारण ब्याज प्रभारित" शब्दों के प्रति निर्देश से प्रयुक्त "सकेगी" शब्द को नियम 64-क में आने वाले "अधिनियम या किसी अन्य नियम में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना" शब्दों के साथ पढ़ा जाता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जब कभी भाटक/स्वामिस्व/फीस देय हो जाती है तो पट्टाकर्ता के पास उपचार के तौर पर अनेक विकल्प होते हैं । यदि भंग में सुधार करने की सूचना देने के साठ दिन के पश्चात् भी भंग में सुधार नहीं किया जाता है तो पट्टाकर्ता पट्टे का पर्यवसान कर सकेगा । अनुकल्पतः, पट्टे का पर्यवसान करने की बजाय नियम

---

may be, within sixty days from the date of the receipt of the notice and if the royalty or dead rent is not paid or the breach is not remedied within the said period, the State Government may, without prejudice to any other proceedings that may be taken against him, determine the lease and forefeit the whole or pay of the security deposit."

में देय रकमों पर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज प्रभारित करने का विकल्प दिया गया है । राज्य सरकार के लिए तीसरा विकल्प पट्टे का पर्यवसान करना और बकाया देयों पर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज प्रभारित करना भी है । नियम 64-क में "सकेगी" शब्द का प्रयोग प्रभारित किए जाने वाले ब्याज की दर के संबंध में विवेकाधिकार देने के संदर्भ में नहीं किया गया है बल्कि राज्य सरकार को यह अनुकल्प या विकल्प देने के लिए किया गया है कि वह पट्टे का पर्यवसान करे या 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज प्रभारित करें या दोनों । अतः, जहां पट्टे का व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप पर्यवसान नहीं किया जाता है वहां राज्य को बकाया रकम पर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज प्रभारित करना होगा । यदि नियम 64-क का निर्वचन प्राधिकारियों को किसी भी दर पर ब्याज प्रभारित करने के किसी विवेकाधिकार और वह भी अनियंत्रित विवेकाधिकार देने के रूप में किया जाता है तो इसके परिणामस्वरूप इसका दुरुपयोग और गलत तौर पर उपयोग होगा । मामले को इस दृष्टि से देखते हुए, पक्षकारों द्वारा दी गई ये दलीलें विचारार्थ बिल्कुल भी उद्भूत नहीं होती हैं कि क्या "सकेगी" शब्द का पठन "अवश्य करना चाहिए" या "करेगी" के रूप में किया जाना चाहिए और यदि ऐसा है तो किन परिस्थितियों में किया जाना चाहिए ।

21. नियमों में ही यह दर्शित करने के लिए अन्य सामग्री भी है कि नियम 64-क में उल्लिखित ब्याज की दर का नम्य होना आशयित नहीं था और उसमें उल्लिखित ब्याज की दर को असंदाय/व्यतिक्रम के सभी मामलों में लागू करना होगा । जब नियम 64-क में तारीख 20 फरवरी, 1991 की अधिसूचना द्वारा संशोधन किया गया था जिसके द्वारा ब्याज की दर बढ़ाकर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष कर दी गई थी, तब पट्टे के मानक प्ररूप (प्ररूप-ट) के भाग 4 के खंड (3) में भी संशोधन किया गया था और सभी देयों पर संदेय ब्याज की दर बढ़ाकर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष कर दी गई थी । हम संदर्भ के लिए प्ररूप-ट के भाग 6 के खंड (3) को नीचे उद्धृत करते हैं :–

> *"3. यदि पट्टेदार/पट्टेदारों द्वारा इन विलेखों के निबंधनों और शर्तों के अधीन राज्य सरकार को देय किसी भाटक, स्वामित्व या अन्य

---

* अंग्रेजी में यह इस प्रकार है :–

> "3. Should any rent, royalty or other sums due to the State Government under the terms and conditions of these

धनराशियों का संदाय विहित समय के भीतर नहीं किया जाता है तो ऐसे अधिकारी के प्रमाणपत्र पर, जिसे राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, उसकी वसूली चौबीस प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से उस पर देय साधारण ब्याज सहित भू-राजस्व के बकाया के रूप में उसी रीति में की जाएगी ।"

प्ररूप-ट के उक्त खंड से यह स्पष्ट हो जाता है कि ब्याज की दर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष होनी चाहिए और राज्य सरकार को किसी कम दर पर ब्याज प्रभारित करने का कोई विवेकाधिकार प्राप्त नहीं है ।

22. यह सही है कि 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज बाजार में उधार की साधारण ब्याज दर से काफी अधिक है । किन्तु यह शास्तिक प्रकृति का नहीं है । खनन से प्राप्त होने वाला राजस्व राज्य सरकारों के गैर-कर राजस्व का बहुत बड़ा स्रोत है । खनन पट्टेदारों से खनन देय तुरंत और व्यतिक्रम के बिना संदत्त करने की प्रत्याशा की जाती है । यदि नियमों के अधीन ब्याज की कम दर का उपबंध किया जाता है तो इसके परिणामस्वरूप बेइमान पट्टेदार विलंबकारी गतिविधियों में आलिप्त हो जाएंगे । नियम 64-क का आशय ब्याज की उच्चतर दर का उपबंध करके ऐसे व्यवहार को निरुत्साहित करना है जो कि राजस्व की वसूली के लिए हानिकर हो । अतः, जब राज्य सरकार पट्टे का पर्यवसान न करने का मार्ग अपना लेती है तो 24 प्रतिशत की दर पर ब्याज प्रभारित करना आज्ञापक है और राज्य सरकार के पास ब्याज की दर के संबंध में कोई विवेकाधिकार नहीं बचता ।

प्रश्न (iv) के संबंध में

23. अब हम इस अंतिम प्रश्न पर विचार करेंगे कि ब्याज की दर क्या होनी चाहिए । हमने यह अवेक्षा की है कि नियम 64-क में स्पष्ट तौर पर यह उपबंध किया गया है कि जहां कोई ऐसा खनन पट्टेदार, जो भाटक या किन्हीं अन्य देयों का संदाय करने का दायी है, उसका संदाय करने में असफल रहता है वहां राज्य सरकार उस पर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर

---

presents be not paid by the lessee/lessees within the prescribed time, the same, together with simple interest due thereon at the rate of twenty four per cent per annum may be recovered on a certificate of such officer as may be specified by the State Government by general or special order, in the same manner as an arrears of land revenue."

पर साधारण ब्याज प्रभारित करने की हकदार होगी । इस नियम की विधिमान्यता को इस न्यायालय द्वारा **साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स** (उपर्युक्त) वाले मामले में कायम रखा गया है । इसलिए, सभी विलंबित संदायों पर ब्याज 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष होना चाहिए ।

24. विरोध करने वाले प्रत्यर्थियों ने यह दलील दी कि भले ही नियम 64-क के अधीन ब्याज की दर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष है, किन्तु जब दायित्व (स्वामिस्व में वृद्धि के कारण) को चुनौती दी गई है और मामला न्यायालय में लंबित है और वृद्धि के बारे में अंतरिम रोक लगा दी गई है तब ब्याज संदत्त करने का दायित्व न्यायालय के विवेकाधिकार के भीतर होगा और न्यायालय कम दर अधिनिर्णीत कर सकता है । उन्होंने इस संबंध में **सौराष्ट्र सीमेंट** (उपर्युक्त) और **साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स** (उपर्युक्त) वाले मामलों में इस न्यायालय के विनिश्चयों का अवलंब लिया कि उस अवधि के लिए ब्याज, जब रोकादेश प्रवर्तन में था, 9 प्रतिशत या 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए ।

25. **साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स** (उपर्युक्त) वाले मामले में, जिसमें नियम 64-क की विधिमान्यता को कायम रखा गया था, इस न्यायालय ने 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज अधिनिर्णीत करने वाले उच्च न्यायालय के विनिश्चय में निम्नलिखित तर्काधार पर हस्तक्षेप नहीं किया था :–

> "जहां तक मध्य प्रदेश राज्य द्वारा फाइल की गई अपील का संबंध है, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत ब्याज 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष के स्थान पर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष करने की ईप्सा की गई है, हम संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन अपनी वैवेकिक अधिकारिता का प्रयोग करते हुए विशेष रूप से आक्षेपित विनिश्चय में उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई राय को ध्यान में रखते हुए वह अनुतोष मंजूर करने के लिए तैयार नहीं है । यह मुकदमेबाजी काफी लंबे समय तक चली । अनेक वाणिज्यिक संव्यवहार किए गए हैं और इसी बीच काफी समय बर्बाद हुआ है । वाणिज्यिक ब्याज-दरों में (जिनमें बैंक दरें भी शामिल हैं) सारवान् परिवर्तन हुए हैं और काफी समय से बैंक की ब्याज दर 12 प्रतिशत से नीचे रही है । अतः, उच्च न्यायालय ने ठीक ही (और युक्तियुक्त रूप से) यह राय अपनाई है कि 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज का संदाय करने संबंधी हकदारी को कायम रखना अत्यधिक होगा और यदि मामले के तथ्यों और उसकी परिस्थितियों के आधार पर ब्याज की दर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष से

घटाकर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष कर दी जाती है तो न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी । हम उच्च न्यायालय के मत में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं किन्तु यह स्पष्ट कर देते हैं कि यह रियायत इस मामले के तथ्यों और इस मामले के पक्षकारों तक सीमित है और इसका अर्थान्वयन खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 64क को अध्यारोही करने के लिए पूर्व-निर्णय के रूप में नहीं किया जाएगा । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि 12 प्रतिशत ब्याज की घटी दर का फायदा लेने के लिए देयों का संदाय आज से छह सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए (यदि पहले न कर दिया गया हो), आज से छह सप्ताह में संदाय करने में असफल रहने पर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज संदत्त करने का दायित्व बना रहेगा ।" (जोर देने के लिए रेखांकित)

अतः, यह स्पष्ट है कि उस मामले में दी गई रियायत, जिसके द्वारा केवल 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज अनुज्ञात किया गया है, उस मामले के तथ्यों और उस मामले में के पक्षकारों तक सीमित थी और इसे नियमों के नियम 64-क को अकृत या अध्यारोही करने के लिए पूर्वनिर्णय के रूप में नहीं समझा जाना है ।

26. **सौराष्ट्र सीमेंट** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय ने **महालक्ष्मी फैब्रिक मिल्स** (उपर्युक्त) वाले विनिश्चय का अनुसरण करते हुए स्वामिस्व में की गई वृद्धि की विधिमान्यता को चुनौती देने वाली अपीलों को खारिज करते समय ऐसे मामले पर विचार किया जिसमें उच्च न्यायालय ने स्वामिस्व में की गई वृद्धि से संबंधित अधिसूचना के अंतरिम रोक को मंजूरी दे दी थी किन्तु अंतरिम आदेश को बातिल करते समय और नियम को प्रभावोन्मुक्त करते समय 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज का संदाय करने का निदेश दिया था । न्यायमूर्ति पटनायक ने (जैसे कि वे तब थे) अपने आदेश की अंतिम पंक्ति में यह मत व्यक्त करने के सिवाय कि 18 प्रतिशत अयुक्तियुक्त है, कोई विनिर्दिष्ट कारण दिए बिना ब्याज की दर को घटाकर 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष कर दिया । न्यायमूर्ति बनर्जी ने अपने सम्मत निर्णय में निम्न प्रकार मत व्यक्त किया :–

"हमारी राय में, वार्षिक बकाया पर 18 प्रतिशत ब्याज अधिरोपित करने का संदर्भात्मक तथ्यों में समर्थन नहीं किया जा सकता है चूंकि स्वयं विधान की विधिमान्यता को ही इस न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत किया गया है । चूंकि ब्याज का संदाय न्यायालय के विवेकाधिकार के

भीतर है इसलिए हम ब्याज अधिनिर्णीत किए जाने के संबंध में इस समय हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं हालांकि जिस दर पर यह अधिनिर्णीत किया गया है उसमें संदर्भात्मक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कुछ उपांतरण करना आवश्यक है और इसलिए हम यह निदेश देते हैं कि ब्याज की दर 9 प्रतिशत साधारण ब्याज होना चाहिए न कि जैसा उच्च न्यायालय द्वारा निदेश दिया गया है ।" (जोर देने के लिए रेखांकित)

उक्त निर्णय का सावधानीपूर्वक पठन करने पर यह दर्शित होता है कि ब्याज के प्रश्न को विनिश्चित करते समय इस न्यायालय ने नियम 64क को अनदेखा कर दिया था जो कि एक कानूनी उपबंध है जिसमें सरकार को 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज का दावा करने का हकदार बनाया गया है । इस न्यायालय ने प्रकटतः इस आधार पर कार्यवाही की कि ब्याज का संदाय करने के लिए कोई कानूनी या संविदात्मक उपबंध नहीं था और इसलिए ब्याज का प्रश्न पूर्णतः न्यायालय के विवेकाधिकार के भीतर था । अतः, उक्त विनिश्चय से भी कोई सहायता प्राप्त नहीं हो सकेगी ।

27. हम यह पाते हैं कि **कनोरिया केमिकल्स** (उपर्युक्त) वाला विनिश्चय ऐसे मामलों में ब्याज अधिनिर्णीत करने के संबंध में न्यायालय के विवेकाधिकार के पीछे जो तर्क है उस पर पर्याप्त प्रकाश डालता है । वह मामला, जैसी कि पहले अवेक्षा की गई है, विद्युत प्रभारों में वृद्धि करने के संबंध में था । सुसंगत उपबंधों में विनिर्दिष्ट रूप से यह उपबंध था कि बिलों के विलंबित संदायों के संबंध में उपभोक्ता बिल की प्रत्येक एक सौ रुपए की असंदत्त रकम पर प्रति दिन सात पैसे का अतिरिक्त प्रभार संदत्त करेगा जो कि 25.55 प्रतिशत प्रतिवर्ष बनता है । इस न्यायालय ने निम्नलिखित तर्काधार पर उसे घटाकर 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष कर दिया था :–

"इसके बाद, श्री वैद्यनाथन ने यह दलील दी कि खंड 7(ख) द्वारा उपबंधित "विलंब संदाय अधिभार" की दर वास्तव में शास्तिक प्रकृति की है चूंकि वह 25.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष आती है । विद्वान काउन्सेल ने यह दलील भी दी कि याचियों ने एडोनी गिन्निंग वाले विनिश्चय को उन्हें अंतिम आदेश के अंतर्गत आने वाली अवधि के लिए ब्याज का संदाय करने की बाध्यता के अवमुक्त करने वाला समझा और यह कि चूंकि वे सद्भाविक रूप से कार्य कर रहे थे इसलिए उन्हें ब्याज की इतनी उच्च दर से अर्थदंड नहीं दिया जाना चाहिए । हम इस बात से सहमत नहीं

हो सकते हैं कि खंड 7(ख) द्वारा उपबंधित विलंब संदाय अधिभार की दर शास्तिक है किन्तु इस मामले के तथ्यों और उसकी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचियों ने संभवतः एडोनी गिन्निंग वाले विनिश्चय को उन्हें रोक की अवधि के लिए ब्याज/विलंब संदाय अधिभार संदत्त करने संबंधी उनकी बाध्यता से अवमुक्त करने वाला समझा होगा, हम खंड 7(ख) के अधीन संदेय विलंब संदाय अधिभार की दर घटाकर अठारह प्रतिशत करते हैं । किन्तु यह निदेश तारीख 21 अप्रैल, 1990 की अधिसूचना को चुनौती देते हुए फाइल की गई रिट याचिकाओं में रोकादेशों के अंतर्गत आने वाली अवधि तक सीमित है और यह तारीख 1 मार्च, 1993 तक, जिसको वे रिट याचिकाएं खारिज कर दी गई थीं, सीमित है ।" (जोर देने के लिए रेखांकित)

अतः, जब कभी किसी उद्ग्रहण को चुनौती दी जाती है या टैरिफ अथवा दरों में की गई किसी वृद्धि को चुनौती दी जाती है और उक्त रिट कार्यवाहियों में वसूली के संबंध में अंतरिम रोकादेश कर दिया जाता है और वह रिट याचिका अंततः नामंजूर कर दी जाती है वहां न्यायालय को सामान्यतः प्रत्यास्थापन के रूप में ब्याज अधिनिर्णीत करना चाहिए । जहां कानून या संविदा में ब्याज की विनिर्दिष्ट दर विहित की जाती है वहां न्यायालय को सामान्यतः ब्याज अधिनिर्णीत करते समय ऐसी दर को अंगीकार करना चाहिए सिवाय वहां जहां कि न्यायालय विशेष और आपवादिक कारणों से ब्याज की उच्चतर या निम्नतर दर अधिनिर्णीत करना चाहता है ।

28. अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि क्या इस मामले में कानूनी ब्याज को घटाने के लिए कोई विशेष या आपवादिक परिस्थितियां हैं । विरोध करने वाले प्रत्यर्थियों में से एक (जे. के. उदयपुर उद्योग लिमिटेड) के मामले में, अंतरिम रोकादेश मंजूर करते समय कि स्पष्ट रूप से यह निदेश दिया गया था कि रिट याचिका में असफल होने की दशा में रिट याची को 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज का संदाय करना होगा । यह अंतरिम आदेश की शर्त थी और इसलिए यह संभव है कि पक्षकारों ने इस आधार पर सद्भाविक रूप से कार्यवाही की कि ब्याज केवल 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगा । विरोध करने वाले अन्य प्रत्यर्थियों की रिट याचिकाओं में, रोकादेश मंजूर करते समय ब्याज के संबंध में ऐसी कोई शर्त नहीं थी । किन्तु जैसा कि **कनोरिया केमिकल्स** (उपर्युक्त) वाले

मामले में उल्लेख किया गया था, यह संभव है कि विरोध करने वाले प्रत्यर्थियों ने इस तथ्य के कारण कि रोकादेश मंजूर करते समय ब्याज का संदाय करने के लिए कोई शर्त नहीं थी, यह सोचा कि उन्हें कानूनी ब्याज-दर पर संदाय करने की आवश्यकता नहीं होगी । यह भी महत्वपूर्ण है कि राज्य की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान् महाधिवक्ता ने विद्वान् एकल न्यायाधीश के समक्ष यह दलील दी थी कि राज्य सरकार केवल 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज की हकदार थी । इन मामलों की असाधारण और विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हमारा यह मत है कि अपीलार्थी उस स्वामिस्व की बाबत जो तारीख 17 फरवरी, 1992 और उनकी अपनी-अपनी रिट याचिकाओं के खारिज किए जाने की तारीख के बीच देय हुआ था, 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज के हकदार होंगे । रिट याचिकाओं के खारिज किए जाने के बाद की अवधि के लिए, विरोध करने वाले प्रत्यर्थी उक्त रकम पर संदाय की तारीख तक 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होंगे ।

29. अंतिम मामले (श्री सीमेंट) में विरोध करने वाले प्रत्यर्थी ने एक अतिरिक्त दलील दी । यह दलील दी गई थी कि उसके मामले में पट्टा-विलेख के खंड VI(iii) में यह उपबंध था कि ऐसा स्वामिस्व, जिसका विहित समय के भीतर संदाय नहीं किया गया था, 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर साधारण ब्याज का संदाय करेगा । अतः, यह दलील दी गई है कि किसी भी बकाया पर ब्याज उसके मामले में 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है । पट्टा खनिज और रियायत नियम, 1960 द्वारा शासित होता है और पट्टा-विलेख का निष्पादन ही नियमों, अर्थात् नियम 31 की अपेक्षाओं में से एक अपेक्षा के अनुपालन में है । जब नियम 64-क में ब्याज की दर को बढ़ाकर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष करने वाली तारीख 20 फरवरी, 1991 की अधिसूचना द्वारा संशोधन कर दिया गया था तब पट्टा-विलेख में के किसी ऐसे निबंधन को, जिसमें ब्याज की कम दर विहित की गई है, उस तारीख से नियम 64-क के सामने समर्पण करना होगा क्योंकि नियम पट्टे के निबंधनों पर अभिभावी होगा । यह स्थिति **साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स** (उपर्युक्त) वाले विनिश्चय से स्पष्ट होती है ।

निष्कर्ष

30. उपरोक्त कारणों से हम इन अपीलों को भागतः मंजूर करते हैं और प्रत्येक मामले में ब्याज की दर को निम्नलिखित रूप में उपांतरित करते हैं :—

(i) तारीख 17 फरवरी, 1992 से (तारीख 17 फरवरी, 1992 की अधिसूचना को चुनौती देने वाली) संबंधित रिट याचिका के खारिज किए जाने की तारीख तक स्वामिस्व इत्यादि के बकाया पर ब्याज की दर 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी ।

(ii) रिट याचिका के खारिज किए जाने की तारीख से संदाय करने की तारीख तक ब्याज की दर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी ।

अपीलें भागतः मंजूर की गईं ।

ग्रो.

[2012] 1 उम. नि. प. 164

सुदाम उर्फ राहुल कनीराम जाधव

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

4 जुलाई, 2011

न्यायमूर्ति हरजीत सिंह बेदी और न्यायमूर्ति चंद्रमौली कुमार प्रसाद

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 – हत्या – विरल से विरलतम मामला – अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा अपनी पहली पत्नी तथा चार बच्चों की निर्मम हत्या कर पोखर में फेंक देना – अभियुक्त का एक अन्य महिला से अवैध संबंध होना तथा पहली पत्नी और बच्चों से पीछा छुड़ाने के लिए सभी की क्रूर और जघन्य रीति में हत्या करना – विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थी को मृत्युदंड दिया गया जिसकी उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई – मामला विरल से विरलतम मामलों की श्रेणी में आता है क्योंकि अपीलार्थी अपनी पहली पत्नी और बच्चों को पोखर के पास लाया और गला दबाकर बच्चों की हत्या करने के पश्चात् पोखर में फेंककर पहली पत्नी की सुनियोजित रीति में सिर कुचलकर हत्या करके शव को पत्थर से बांधकर पोखर में फेंक दिया – साक्षियों के समक्ष की गई न्यायिकेतर संस्वीकृति तथा पारिस्थितिक साक्ष्य की श्रृंखला पूरी होने पर मृत्युदंड की शास्ति उचित ठहराते हुए निचले न्यायालयों के निर्णय की पुष्टि की गई ।